कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान

क्रमांक. CID/CB/PRC/2020/परिपत्र/1150-1222 दि.17.01.2020
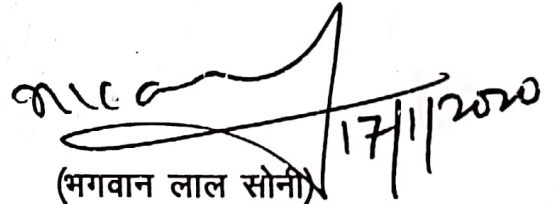
पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर
समस्त रेंज महानिरीक्षक, राजस्थान।

समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर एवं जोधपुर,
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक मय जी.आर.पी., राजस्थान।

विषयः प्रकरण अनुसंधान करने हेतु मानक संचालन प्रणाली/परामर्शदात्री के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरणों का अनुसंधान करने के लिए मानक संचालन प्रणाली/परामर्शदात्री तैयार कर आपको भिजवाई जा रही है। प्रकरणों का अनुसंधान करते समय संलग्न परामर्शदात्री की पालना करवाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

17/1/2020

(भगवान लाल सोनी)
अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान

प्रतिलिपि : निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है –

1. महानिदेशक पुलिस, प्रशासन एवं कानून–व्यवस्था, राजस्थान।
2. समस्त अति. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान पुलिस।
3. रक्षित पत्रावली।

17/1/2020

अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान

☎: +91-141-2740873 🖷: +91-141-2740682 ✉: adgp.crimebranch@rajpolice.gov.in

अनुसंधान करने हेतु मानक संचालन प्रणाली/परामर्शदात्री
(Standard Operating Procedure/Advisory)

कार्ययोजना

1. किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना/रिपोर्ट प्राप्त होने पर महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के **परिपत्र पत्रांक 9727—98 दिनांक 10.05.2019** (अनुलग्नक 01) तथा महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के **परिपत्र पत्रांक 15057—118 दिनांक 09.08.2019** (अनुलग्नक 02) के द्वारा अभियोग पंजिबद्ध करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
2. यदि किसी सूचना/रिपोर्ट से संज्ञेय अपराध का घटना ना पाया जाए. तो महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र (CCTNS में परिवाद दर्ज करने के संबंध में परिपत्र) **पत्रांक CID/CB /सम्पर्क/पोर्टल/2019 परिपत्र/663—738 दिनांक 20.06.2019** (अनुलग्नक 03) की पालना की जावे।
3. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय कार्यवाही पुलिस में परिवादी से **मजीद दरियाफ्त** कर यथासम्भव घटना के सम्बन्ध में और अधिक खुलासा करना चाहिए।
4. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अनुसंधान अधिकारी उसका विवेचन कर उसके अनुसंधान करने की **एक कार्य योजना (Action Plan)** बनाकर अपने निकटतम सुपरवाईजरी अधिकारी से अनुमोदन करावें।
5. अनुसंधान अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन कर प्रकरण साधारण प्रकृति अर्थात संज्ञेय जमानतीय अपराध का होने पर अपने थानाधिकारी से तथा संज्ञेय अजमानतीय अपराध होने पर अपने निकटतम सुपरविजन अधिकारी ACP/CO से अनुमोदन करावें।
6. अनुसंधान अधिकारी उक्त कार्य योजना को अनुसंधान का एक हिस्सा (Part) मानते हुये अनुसंधान पूर्ण करें तथा सुपरवाईजरी अधिकारी **चालान/एफआर आदेश देने से पूर्व** उक्त कार्ययोजना अनुसार अनुसंधान किया है या नही, अवलोकन करें और तत्पश्चात् ही प्रकरण में चालान/एफआर के आदेश देना सुनिश्चित करें।

गवाहान का परीक्षण

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित गवाहान के बयान अनुसंधान अधिकारी अतिशीघ्र लेखबद्ध करें। यदि **विलम्ब होता है** तो कारणों को केस डायरी में अभिलेख किया जावें।
2. धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता में साक्ष्य की विडियो रिकार्डिंग के संबंध में अति0 महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र पत्रांक **9971—10011 दिनांक 14.05.2019** (अनुलग्नक 04) की पालना की जाए।
3. प्रायः यह देखा गया है कि अनुसंधान अधिकारी गवाह के बयान लेखबद्ध करते समय **स्थान, दिनांक व समय का अंकन नहीं** करते हैं व अनुसंधान अधिकारी स्वयं का नाम भी अंकन नहीं करते हैं, जिससे आरोपीगण को न्यायालय में संदिग्धता का फायदा मिलता है।
4. परिवादी व गवाहान का **आपसी सम्बन्ध क्या है**, इसे स्पष्ट उल्लेखित करें जिससे प्रकरण की सत्यता तक पहुंचा जा सके। अनुसंधान अधिकारी अपनी अनुसंधान केस डायरी में उक्त तथ्य/जानकारी आवश्यक रूप से रखें कि गवाह मौके का प्रत्यक्षदर्शी हैं या हितबद्ध गवाह है।
5. अनुसंधान अधिकारियों गवाहान के बयान यथासम्भव मौके पर ही लेखबद्ध करें, जिससे भा.द.स., द.प्र.स. एवं अन्य विधियों में समय—समय पर हुये संशोधनों/विधिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो। प्रायः यह देखा गया है कि अनुसंधान अधिकारी गवाहान को थाना/कार्यालय में तलब कर बयान लेखबद्ध करते हैं। **160 द.प्र.सं. के तहत महिला, 15 वर्ष से कम उम्र के बालक/बालिका, शारीरिक मानसिक दिव्यांग व्यक्ति तथा 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को तलब नहीं किया जा सकता**, जबकि अनुसंधान अधिकारी इन विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। इस सम्बन्ध में यह भी जानकारी में आया है कि काफी अनुसंधान अधिकारियों द्वारा विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध **धारा 166ए भादस के प्रकरण** दर्ज हुये हैं। अनुसंधान अधिकारियों द्वारा विधिक प्रकिया को अपनाकर ही गवाहान को तलब करना चाहिए, जिससे इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़े।
6. गंभीर प्रकृति के अपराधों व महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित दर्ज प्रकरणों में **निर्धारित विधिक प्रावधानों की पालना करते** हुए धारा 164 सीआरपीसी के बयान करवाया जाना सुनिश्चित करें व उनकी **विडियोग्राफी** करवाई जावे। महिला

उत्पीड़न से सम्बन्धित प्रकरणों में महिला के बयान महिला अधिकारी द्वारा ही लिये जाकर बयानों की विडियोग्राफी करवाया जाना सुनिश्चित करें।

7. गवाहों के बयान कम्पयूटर पर लेखबद्ध करते समय अनुसंधान अधिकारी कई बार पूर्व के बयानों की **कट–पेस्ट (cut-paste) करते** हैं, जिससे बयानों में भारी विरोधाभास हो जाता है। इस प्रकृति से पूर्णतः बचना चाहिए।

8. अति0 महानिदेशक पुलिस, सिविल राईट्स, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र पत्रांक **प6(54) पु0अ0/म0अ0/यौ0अ0/18/4495–4550 दिनांक 09.05.2019** (अनुलग्नक 05) के निर्देशानुसार बलात्कार संबंधी प्रकरणों की संवेदनशीलता के साथ त्वरित गति से अनुसंधान कर निष्पादन हेतु कार्ययोजना की पालना की जावें।

घटनास्थल का निरीक्षण/विजिट

1. अनुसंधान अधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण घटना घटित होने पर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर **जिला मोबाईल एफएसएल यूनिट/निकटतम सुपरविजन अधिकारी** के साथ मौका निरीक्षण तक यथासम्भव घटनास्थल को सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
2. अनुसंधान अधिकारी एफएसएल टीम द्वारा दिये गये सुझावों को अनुसंधान में शामिल करे तथा **एफएसएल टीम से राय प्राप्त** कर अनुसंधान को सफल बनावे।
3. घटनास्थल की **रंगीन फोटोग्राफी/विडियोग्राफी कराई** जानी चाहिए, जिससे घटनास्थल का कोई तथ्य अनुसंधान अधिकारी से वंचित नहीं रहे तथा घटनास्थल का भविष्य में भी पुनः अवलोकन किया जा सके। फोटोग्राफी/विडियोग्राफी करने वाले **व्यक्ति को साक्ष्य सूची में अवश्य रखा** जाना चाहिए और उससे **अनुभव प्रमाण पत्र लेकर** शामिल पत्रावली किया जाना चाहिए तथा उनके धारा 161 द.प्र.सं. के कथन लेखबद्व करने चाहिए।
4. घटनास्थल पर प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की उपस्थिति दर्शानी चाहिए एवं **घटना रात्रि की हो तो प्रकाश** की क्या व्यवस्था थी, दर्शानी चाहिए। घटनास्थल पर विभिन्न साक्ष्यों की उपस्थिति व दूरी भी अंकित की जाये।
5. अनुसंधान अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण कर यथासम्भव मौके से अतिशीघ्र साक्ष्य जप्त करे तथा यदि मौके से **कोई सैम्पल जप्त करना है** तो निर्धारित विधिक प्रक्रिया को अपनाकर ही सैम्पल लेवें।

6. गंभीर प्रकृति के अपराध यथा हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, नकबजनी आदि से सम्बन्धित अपराधों के घटनास्थल का **निरीक्षण घटनास्थल के साथ आस–पास के क्षेत्र का भी किया जावे**, जिससे सम्पूर्ण तथ्य सामने आ सके और प्रकरण का खुलासा सम्भव हो सके। साथ ही ऐसी घटनाओं के घटनास्थल के आस–पास का निरीक्षण कर लोगों से घटना की जानकारी लेकर **केस डायरी में** उल्लेख करें।
7. गंभीर प्रकृति के अपराध यथा हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, नकबजनी आदि के घटनास्थल का निरीक्षण कर यथासम्भव **मोबाईल कम्पनियों से डम्प डाटा** प्राप्त कर उनका विश्लेषण कर प्रकरण को सफल बनाने का प्रयास किया जावे।
8. घटनास्थल के आस–पास के **सीसीटीवी कैमरों से फुटेज प्राप्त कर** अनुसंधान को सफल बनाया जावे। सीसीटीवी फुटेज जिस डीवीआर से प्राप्त किये गये हैं, उसके मालिक/संस्था से मालिकाना हक व अन्तर्गत **धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र** लेकर अनुसंधान में शामिल किया जावे। डीवीआर/सीडी को जब्त कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण कराकर नतीजा प्राप्त घटना की सत्यता की प्रमाणिकता का साक्ष्य सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
9. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र **पत्रांक व–15 (42) आ. एवं क/मोड/2008/13709 दिनांक 26.11.2007** (अनुलग्नक 06) में अपराध स्थल पर पहुचने के लिए दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।
10. अति0 महानिदेशक पुलिस, (अपराध), राजस्थान, जयपुर के परिपत्र **पत्रांक CID/CB/PRC/ 06/2164–2211 दिनांक 14.06.06** (अनुलग्नक 07) द्वारा अज्ञात लाश के बारे में परिपत्र में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

<u>मालखाना रजिस्टर व रोजनामचा आम में इन्द्राज</u>

1. प्रकरणों के अनुसंधान के दौरान **महत्वपूर्ण जप्ती, गिरफ्तारी, प्रादर्श एफएसएल भेजने का रोजनामचा आम** में आवश्यक रूप से अंकन किया जाकर रोजनामचा आम की प्रतियाँ अन्वेषण पत्रावली में शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
2. जिन प्रकरणों में माल वजह सबूत जप्त किये गये हैं, ऐसे प्रकरणों का चालान न्यायालय में पेश करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि **जप्तशुदा माल का**

जमा व निकासी का इन्द्राज मालखाना रजिस्टर में किया गया है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति एवं मालखाना इंचार्ज को साक्ष्य में रखा जावे।

मेडिकल परीक्षण/ईलाज

1. परिवादी/आरोपी चोटग्रस्त हो तो **सर्वप्रथम उसे अविलम्ब अस्पताल** पहुँचाना सुनिश्चित करे, तत्पश्चात अग्रिम विधिक कार्यवाही की जावे।
2. अनुसंधान अधिकारी पीड़ित की चोटों का अवलोकन कर **समस्त चोटों का विवरण** मेडिकल ज्यूरिस्ट को जारी पत्र में करे। पीड़ित महिला/बच्चा/बच्ची होने पर **ऐसे पीड़ित का मुआयना महिला** पुलिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
3. पीड़ित का मेडिकल/ईलाज कराने हेतु मेडिकल ज्यूरिस्ट/मेडिकल ऑफिसर को जारी तहरीर को **सूची दस्तावेज में शामिल** किया जावे।
4. पीड़ित की चोटों का एक्सरे/अन्य परीक्षण जो मेडिकल ऑफिसर द्वारा सुझाये गये है, उनकी **राय प्राप्त कर** अनुसंधान में शामिल किया जावे।
5. पीड़ित का मेडिकल रिपोर्ट/एक्सरे रिपोर्ट/एक्सरे प्लेट/अन्य राय पीड़ित की मेडिकल राय जो भी प्राप्त की गई है, उन समस्त को निस्तारण के बाद न्यायालय में पेश साक्ष्य सूची दस्तावेज में शामिल किया जावे। अति0 महानिदेशक (अपराध), राज0, जयपुर के परिपत्र **व. 15।।प।। 07/अशा/विधि/2000/5307–50 दिनांक 29.11.2000 परिपत्र सं–17/2000** (अनुलग्नक 08) में दिये गये निर्देशों के अनुरूप एक्सरे प्लेट, दस्तावेजों की सूची में व डा0 का नाम व गवाहान के नाम की सूची में रखने बाबत् दिये गये निर्देशों की पालना करें। पीड़ित का मेडिकल रिपोर्ट/एक्सरे रिपोर्ट/एक्सरे प्लेट/अन्य राय जिन–जिन चिकित्सकों ने दी है, उन सबके नाम व पदनाम तथा पूर्ण निवास पता सहित साक्ष्य सूची में रखा जावे।
6. चालान/एफआर न्यायालय में प्रस्तुत करते समय पीड़ित की **मेडिकल रिपोर्ट/एक्सरे रिपोर्ट/अन्य राय को चालान/एफआर** के साथ आवश्यक रूप से शामिल किया जावे।

दस्तावेजात परीक्षण

1. अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रकरण में जो भी दस्तावेजात प्राप्त किये हैं उनको पत्रावली में **शामिल करने का नोट** अंकित किया जावे।
2. अनुसंधान अधिकारी ने जिस व्यक्ति से मूल दस्तावेजात प्राप्त किये गये है, **उनको उसकी सत्यप्रति उपलब्ध** कराकर फर्द की प्रति देने का उल्लेख फर्द तथा केस डायरी दोनों में करें।
3. प्रकरणों के अनुसंधान के दौरान जिन–जिन प्रेषित पत्रों से दस्तावेज प्राप्त किये हैं और जिन–जिन प्राप्त पत्रों से सम्बन्धित कार्यालय से दस्तावेज प्राप्त हुये हैं, उन **समस्त पत्रों को भी सूची दस्तावेजात** में रखा जाना चाहिए एवं सम्बन्धित प्रेषक को सूची गवाहान में रखें, ताकि अनुसंधान की कड़ी ना टूटे।
4. अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी द्वारा जो भी दस्तावेजात एफएसएल भेजे जाते हैं, उनकी **एक सत्यापित प्रति पत्रावली** के साथ रखे।
5. अग्रेषण पत्र में **एफएसएल परीक्षण कराकर प्राप्त की जाने वाली राय** का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
6. अनुसंधान अधिकारी द्वारा एफएसएल परीक्षण कराने हेतु पुलिस अधीक्षक को जारी प्रेषित पत्र एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा एफएसएल निदेशक को जारी अग्रेषण पत्र को **साक्ष्य दस्तावेजात** में रखा जावे अर्थात दस्तावेजात के निरन्तरता (Chain of Document) को पूर्ण किया जावे।
7. एफएसएल से **प्राप्त नतीजा व दस्तावेजात की 01 फोटोप्रति थाने पर एफएसएल नतीजा पत्रावली** में सुरक्षित रखी जावे। प्रायः यह देखने में आ रहा कि एफएसएल से प्राप्त नतीजा/दस्तावेज का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं रहता है।
8. एफएसएल भेजे गये सैंपल/दस्तावेजात के कितने नतीजे शेष हैं और एफएसएल से प्राप्त नतीजे सम्बन्धित न्यायालय में कब भेजे गये, इस सम्बन्ध में **थाना स्तर/सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्तर पर रिकार्ड संधारण** हेतु एक पत्रावली संधारित की जावे, जिसमें न्यायालय से एफएसएल रिपोर्ट जमा होने की रसीद/प्राप्ति ली जावे।
9. एफएसएल से प्राप्त नतीजा व दस्तावेजात को सम्बन्धित न्यायालय/पत्रावली में सलंग्न करने का केस डायरी/अपराध रजिस्टर में उल्लेख किया जावे।
10. **दस्तावेजात के निरन्तरता (Chain of Document)** के जारी करने वाले अधिकारियों को साक्ष्य सूची में रखा जावे।

11. एफएसएल में भेजे गये सैंपल/दस्तावेजात की रिपोर्ट समय पर मंगवाया जाना सुनिश्चित करें। आवश्यक होने पर जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से अर्द्धशासकीय पत्र जारी करवाया जावे।
12. अनुसंधान अधिकारी द्वारा विवादित दस्तावेजात जिनका परीक्षण एफएसएल से कराया जाना है, उन व्यक्तियों के विवादरहित हस्ताक्षर व नमूना हस्ताक्षर लिये जाते हैं। **विवाद रहित हस्ताक्षर/दस्तावेजात फर्द जप्ती बनाकर ही रिकार्ड पर लेने चाहिए।** विवादरहित हस्ताक्षर व नमूना हस्ताक्षर जिस राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में लिये गये हैं, उनको साक्ष्य सूची में रखा जावे।
13. अति0 महानिदेशक पुलिस, (अपराध), राजस्थान, जयपुर के परिपत्र पत्रांक **स-9()अप/अन्वे./अजमेर रेंज/19/18798-843 दिनांक 01.10.19** (अनुलग्नक 09) परिपत्र में दिये गये एफएसएल संबंधी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

प्रक्रियात्मक अनुसंधान (Procedural Investgation)

1. अनुसंधान अधिकारी जिस प्रकृति का अपराध है, उससे सम्बन्धित **विशेषज्ञ/विशेष टीम का गठन** कराकर प्रकरण के निस्तारण से पूर्व उनकी राय लेवें। जैसे गबन, साइबर अपराध, शेयर सम्बन्धी प्रकरण, क्रिप्टोकरेन्सी, भूमि (रेवेन्यू) सम्बन्धी प्रकरण 90A/B, भूमि पट्टा इत्यादि प्रक्रियात्मक प्रक्रिया को अनुसंधान में शामिल किया जावे।
2. बैकिंग, सरकारी कार्यालय या विभाग जिसमें हुये गबन/अनियमितता/घोटाला आदि सम्बन्धित प्रकरणों को **उनके कार्यालयों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में उनके विभाग अध्यक्ष से टीम का गठन** कराकर जाँच करवाई जावे, प्रक्रियात्मक बयान लिये जावे व तत्पश्चात् प्रकरण में नतीजा दिया जावे।
3. यथासम्भव उक्त गठित विशेष टीम का विजिट/राय मौके पर **भौतिक रूप** से ली जावे।

मुल्जिम की गिरफ्तारी

1. जिन अभियुक्तों की कार्यवाही शिनाख्तगी की जानी है, उनके हुलिये का विवरण केस डायरी में अंकित नहीं किया जावे तथा अभियुक्त को बापर्दा रखा गया है, उसका **नोट केस डायरी में अवश्य अंकित** किया जावे।

2. गिरफ्तार किये गये **आरोपीगण के विधिक अधिकारों** की पालना करते हुये उनके परिजनों को सूचित करते हुये, मेडिकल कराया जावे और उनकी फर्द गिरफ्तारी बनाते समय **शरीर पर मौजूद चोटों का पूर्ण विवरण** अंकित किया जावे।
3. अभियुक्त के गिरफ्तार होने पर शिनाख्त कार्यवाही तुरन्त करवाई जानी चाहिए ताकि अभियुक्त को लाभ नहीं मिल सके।
4. अति0 महानिदेशक पुलिस (अपराध) राजस्थान जयपुर के परिपत्र **पत्रांक स 3(4) सीआईडी (सीबी) सम्पर्क/2004/1202–50 दिनांक 03.09.2004** (अनुलग्नक 10) पूछताछ नोट संबंधी दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

<u>सीडीआर/फोटोग्राफी/विडियोग्राफी/सीडी का विश्लेषण</u>

1. सीडीआर सेवा प्रदाता मोबाईल कम्पनी के सक्षम अधिकारी से **धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र** प्राप्त कर अनुसंधान में शामिल किया जावे।
2. प्रकरण में मोबाईल नम्बर के **धारक व प्रयोगकर्ता अलग–अलग** हों तो मोबाईल धारक के बयान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये जावे तथा मोबाईल नम्बर का **मोबाईल सेवा प्रदाता कम्पनी से कैफ प्राप्त** कर शामिल पत्रावली किया जावे व साक्ष्य में रखा जावें।
3. प्रकरण के अनुसंधान के दौरान ली गई समस्त सीडीआर/डम्प डाटा का एक विस्तृत विश्लेषण किया जाना चाहिए कि अनुसंधान के दौरान सीडीआर/डम्प डाटा के सहयोग से क्या निष्कर्ष निकाला गया है और इसका विस्तृत विवरण केस डायरी में अंकित किया जाना चाहिए। साथ ही केवल उसी सीडीआर/डम्प डाटा को पत्रावली पर प्रिंट कर लिया जाना चाहिए, जो प्रकरण के अनुसंधान में साक्ष्य के रूप में जरूरी हो, ना कि संपूर्ण सीडीआर/डम्प डाटा का प्रिंट लेकर उसे पत्रावली में लगा लेना। परंतु यह संपूर्ण सीडीआर/डम्प डाटा, जिसके संबंध में धारा 65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है, को सीडी में कापी कर पत्रावली में व सूची साक्ष्य में अवश्य शामिल करना चाहिए। इस प्रवृति से अनुसंधान में सीडीआर/डम्प डाटा से साक्ष्य संकलन व विश्लेषण उपयुक्त तरीके से नहीं होता व न्यायालय द्वारा भी इसे उपयुक्त नहीं माना जाता।

चालान/एफआर प्रतिवेदन

1. चालान/एफआर प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण के अपराध के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन किया जावे। **चालान/एफआर के प्रथम** पार्ट में **एफआईआर का विवेचन, दूसरे पार्ट में अनुसंधान अधिकारी द्वारा** किया गया **समग्र अनुसंधान** तथा **तृतीय/अन्तिम पार्ट में** नतीजा **का विस्तृत विवेचन किया जावे, जिसमें** अपराध **किन–किन धाराओं में व किन–किन आरोपीगण के विरूद्व माना या नहीं माना है** एवं गंभीर अपराधों में घटना की कड़ियों को जोड़ते हुये विवरण दिया जाना चाहिए। उक्त तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख चालान/एफआर में किया जावे।
2. **अति0 महानिदेशक पुलिस (अपराध) राजस्थान, जयपुर कमांक 2787–847 दिनांक 27.02.19** (अनुलग्नक 11) के द्वारा प्रकरणों के अन्वेषण, न्यायालय में चालान प्रस्तुतिकरण व अग्रिम अनुसंधान हेतु दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
3. **अति0 महानिदेशक पुलिस (अपराध) राजस्थान जयपुर के परिपत्र पत्रांक र–9 ख (4) अप.शा./विधि/2014/2115/दिनांक 3.3.2014** (अनुलग्नक 12) के द्वारा धारा 173(8) जा.फौ. के अन्तर्गत अनुसंधान पैण्डिंग के सबंध में परिपत्र में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
4. **महानिदेशक पुलिस के स्थाई आदेश संख्या 19/2019 व पत्रांक सीआईडी/सीबी/पीआरसी/22399–470 दिनांक 23.12.2019** (अनुलग्नक 13) के द्वारा अनुसंधान कार्य एवं डायरी डायजेस्ट रजिस्टर का डिजिटाइजेशन एवं पत्रावली का सीसीटीएनएस में निस्तारण बाबत् दिये गये निदेर्शो की पालना सुनिश्चित करें।
5. चालान/एफआर में अनुसंधान में **शामिल किये गये समस्त दस्तावेजात का स्पष्ट** उल्लेख करना चाहिए एवं मूल दस्तावेजात यदि चालान/एफआर के साथ पेश किये जा रहे हैं तो उनका उल्लेख किया जावें। समस्त मौखिक/दस्तावेज साक्ष्यों को शामिल करें एवं सूची दस्तावेज बनाई जाकर उनके सामने, कौन क्या साबित करेगा, का विवरण भी अंकित किया जाना चाहिए।
6. चालान/एफआर प्रोफार्मा को **नजदीकी सुपरविजन अधिकारी अर्थात ACP/CO** से अनुमोदन कराकर सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जावे।

7. पुलिस द्वारा जिन प्रकरणों में एफआर अदम वकू आमदन झूठ में दी जाती है, **ऐसे प्रकरणों में धारा 182/211 भा.द.सं. के इस्तगासे** न्यायालय में पेश किये जाकर उच्च अधिकारियों द्वारा ऐसे मामलों की मॉनिटरिंग की जावे।

8. **राजस्थान सरकार अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर** के परिपत्र **पत्रांक 3–15 (11) स्था/विविध/अभि0/14657–87 दिनांक 07.11.2002** (अनुलग्नक 14) में पुलिस ब्रीफ के संबंध में दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

9. अति0 महानिदेशक पुलिस (अपराध), राजस्थान, जयपुर के परिपत्र **पत्रांक सीआईडी/सीबी/पीआरसी/परिपत्र/2019/7306–60 दिनांक 03.04.2019** (अनुलग्नक 15) में अनुसंधान पत्रावली के निस्तारण सम्बन्धी दिये गये दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।